FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0101 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/04/2026 11:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 04/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:38 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/04/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/04/2026 11:07:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 310 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA KOTWALI, JILA CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGDISH DAS RANGASWAMI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NANU DAS RANGASWAMI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1979 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	6E 51, NEW HOUSING BOARD, SHASTRINAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	6E 51, NEW HOUSING BOARD, SHASTRINAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIRENDRA JOSHI		पिता:SHERULAL	1. BHADWASIYA BERA,GANESH NAGAR,JODHPUR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, भीलवाडा-प्रथम विषय - रिश्वत लेने वाले को पकडवाने के संबंध में। मान्यवर, मै प्रार्थी श्री जगदीश दास पुत्र श्री नानूदास जाति रंगास्वामी उम्र 47 वर्ष निवासी 6ई-51 न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाडा का रहने वाला हॅू। पेशे से मजदूरी का कार्य करता हॅू। मेरी मोटरसाईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 06 जेएस 2437 मॉडल एचएफ डिलक्स है। मेरी मोटरसाईकिल को मेरा भतीजा विक्रमदास दिनांक 26.10.2024 को संगम इंडिया कम्पनी चितौडगढ रोड पर कार्य करने हेतु लेकर गया था। जहॉं से मेरी मोटरसाईकिल चोरी हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट मैने पुलिस थाना पुर भीलवाडा में दिनांक 27.10.2024 को दी लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। मेरे मोबाइल नम्बर पर दिनांक 01.10.2025 को मोबाइल नम्बर से कॉल आया तथा कहा कि मै चितौडगढ कोतवाली थाने से विरेन्द्र बोल रहा हॅू। आपकी मोटरसाईकिल के नम्बर 2437 है, क्या तो मैने कहा हॉं, तो मुझे कहा कि आप अपना आधार कार्ड, गाडी के कागजात और थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवायी हो तो कॉपी लेकर आना। इसके बाद मै करीबन 04.00 बजे मै मेरी गाडी के कागजात लेकर चितौडगढ कोतवाली पहॅूचा, तथा मैने उक्त नम्बर पर फोन किया तथा पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र जी से मिला तो उन्होने मेरे कागजात चैक किये, तथा मुझे विरेन्द्र जी ने कहा कि मैने इसमें बहुत भाग-दौड की है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पडो, मुझे 5000/रूपये दे दो, आपकी गाडी छोड दूंगा। मुझे विरेन्द्र जी की पोस्ट का पता नही है। मै मेरे जायज कार्य की ऐवज में पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र जी पुलिस थाना कोतवाली चितौडगढ को 5000/रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू, बल्कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मी को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मै मजदूरी करता हॅू, तथा काफी समय से बीमार भी रहता हॅू। मेरे से 5000/रूपये रिश्वत लिये बगैर विरेन्द्र जी मेरी गाडी को नही छोडेगा। मेरी विरेन्द्र जी पुलिस वाले से कोई रंजिश नही है, और किसी प्रकार की लेन-देन बकाया नही है। रिपोर्ट करता हॅू, कार्यवाही करे। सादर। संलग्न - 01. आधार कार्ड की कॉपी, 02. आरसी की कॉपी, 03. पुलिस थाना पुर भीलवाडा में वाहन चोरी की रिपोर्ट दिनांक 27.10.24 की कॉपी प्रार्थी नाम जगदीश दास रंगास्वामी पिता श्री नानूदास जाति रंगास्वामी, उम्र-47 वर्ष निवासी 6ई/51 न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाडा मो0नं दिनांक 03.10.2025 समय 03.00 पी.एम पर परिवादी श्री जगदीश दास रंगास्वामी पिता श्री नानूदास जाति रंगास्वामी, उम्र-47 वर्ष निवासी 6ई/51 न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाडा नें मन पारसमल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी श्री जगदीश दास से दरयाप्त की तो बताया कि मै उपरोक्त पते का निवासी हॅू, तथा पेशे से मजदूरी का कार्य करता हॅू। तथा कोरोना के बाद मेरे हार्ट की परेशानी और शुगर, बीपी शिकायत होने से मैने रोजाना काम पर जाना छोड दिया है, लेकिन कभी-कभार छोटा-मोटा मजदूरी का काम कर लेता हूं। मै केवल पढना जानता हॅू, तथा मेरे हस्ताक्षर कर लेता हॅू। पढा लिखा नही हॅू, मैने यह रिपोर्ट भीलवाडा सेशन कोर्ट से टाईप करवाकर लाया हॅू। तथा उक्त रिपोर्ट में लिखी हुई सारी बात सही है। मेरा भतीजा विक्रमदास दिनांक 26.10.24 को मेरे से मेरी मोटरसाईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 06 जेएस 2437 मॉडल एचएफ डिलक्स मांग कर संगम इंडिया कम्पनी चितौडगढ रोड पर काम पर लेकर गया था। यह मोटरसाईकिल मैने वर्ष 2015 में खरीदी थी, जो मेरे नाम से ही रजिस्ट्रेशन है। यह मोटरसाईकिल कम्पनी के बाहर से चोरी हो गई थी। जिसकी एक रिपोर्ट मैने दिनांक 27.10.2024 को पुलिस थाना पुर जिला भीलवाडा में दी लेकिन थाने वालों ने मेरी मोटरसाईकिल की तलाश नही की और न ही कोई शिकायत दर्ज की, मेरी रिपोर्ट को ऐसे ही लेकर रख ली थी। मै दिनांक 01.10.25 को मोग जी का खेडा गंगरार में मेरे ससुराल गया हुआ था। समय 1.00 बजे दिन में मेरे मोबाइल नं0 पर मोबाइल नं0 से कॉल आया तथा मुझे कहा कि मै चितौडगढ कोतवाली पुलिस थाने से विरेन्द्र बोल रहा हॅू, आपकी मोटरसाईकिल के नम्बर 2437 है, क्या तो मैने कहां हां, इसके बाद पुलिस वाले विरेन्द्र जी ने मुझे कहा कि आप अपना आधार कार्ड, मोटरसाईकिल के कागजात, और पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दी हो तो लेकर चितौडगढ कोतवाली में आकर मेरे से मिल लेना। इसके बाद मै करीबन 4.00 बजे पुलिस थाना कोतवाली चितौडगढ पहॅूच कर मोबाइल नं0 पर बात की तो एक पुलिस वाला सादे कपडों में थाने के बाहर आया तथा कहा कि मैने ही आपको फोन किया था। मुझे थोडी देर थाने के सामने चाय के ठेले के पास बिठाया, इसके बाद मुझे विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी ने थाने के अन्दर बुलाया तथा एक कमरे में बैठा कर मेरे मोटरसाईकिल से संबंधित

कागजात चैक किये। मैने मेरी मोटरसाईकिल दिखाने के लिये कहा तो कहा, मैने आपकी मोटरसाईकिल बरामद करने में बहुत भागा-दौडी की है, बहुत मेहनत की है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पडों, मुझे खर्चा-पानी के 5000/ रूपये दे दों मै आपकी गाडी छोड दूंगा। पुलिस कर्मी विरेन्द्र जी की पोस्ट की मुझे पता नही है, इनके मोबाइल नं0 है। मैने विरेन्द्र जी पुलिस वाले से काफी हाथा-जोडी की, कि मेरी गाडी चोरी हुए साल भर हो गये है, मै कई बार पुर पुलिस थाने के भी चक्कर लगाये है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नही हुई अब आप मेरी गाडी मुझे दिलवा दो। लेकिन पुलिस कर्मी विरेन्द्र जी ने मेरे से मेरी गाडी छोडने की एवज में 5000/ रूपये रिश्वत की मांग की। मै मेरे जायज कार्य की एवज में पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र जी पुलिस थाना कोतवाली को 5000/ रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू, बल्कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मी को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। मेरी पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र जी से कोई लेन-देन बकाया नही है, और मेरी कोई रंजिश नही है। आज मै आपको रिपोर्ट के साथ मेरी मोटर साईकिल के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति, मेरा आधार कार्ड, एवं दिनांक 27.10.2024 को पुलिस थाना पुर जिला भीलवाडा में दी गई मोटरसाईकिल चोरी की रिपोर्ट की फोटो कॉपी आपको पेश कर रहा हॅू। मजमून तहरीरी रिपोर्ट एवं दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को एसओ के पास भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। अतः परिवादी को पुलिस थाना कोतवाली जिला चितौडगढ जाकर संबंधित पुलिस कर्मी से होने वाली वार्ता एवं रिश्वत राशि मांग का सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की कहने पर परिवादी ने बताया कि अभी 05.00 बजने वाले है, तथा चितौडगढ जाकर वापस आने में रात्रि का समय हो जायेगा तथा बीच में गंगरार के पास ट्रेफिक जाम की भी समस्या रहती है, तो हो सकता है, पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र जी थाने से चला भी जायेगा। अतः मै कल प्रातः आपके पास आकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। दिनांक 04.10.2025 समय 9.00 एएम पर परिवादी श्री जगदीश दास उपस्थित कार्यालय आया। जिसको मन उप अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बिठाया, परिवादी ने बताया कि मै आज चितौडगढ जाकर श्री विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी से रिश्वत राशि मांग के संबंध में वार्ता कर लूंगा। इस पर कानि0 श्री पवन राव 417 को मन उप अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, तथा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया एवं दोनों के मोबाइल नम्बर आपस में शेयर किये। कानि0 श्री पवन राव को निर्देश दिये कि आप परिवादी के साथ पुलिस थाना कोतवाली चितौडगढ जाकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा की जाने वाली रिश्वत राशि मांग वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। तत्पश्चात श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से मालखाने से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड लाकर मुझ उप अधीक्षक को सुपुर्द करने के निर्देश दिये। श्री रामपाल एएसआई ने कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर एवं एक नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी का लाकर पेश किया। परिवादी श्री जगदीश दास को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर का चालू एवं बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। तथा कानि0 श्री पवन राव से नया मैमोरी कार्ड डीवीआर में लगवाया गया। कानि0 श्री पवन राव को कार्यालय का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.45 एएम पर परिवादी श्री जगदीश दास एवं कानि0 श्री पवन राव 417 को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना कोतवाली चितौडगढ की ओर रवाना किया गया। कानि0 श्री पवन राव को निर्देश दिये कि आप परिवादी को एसओ के पास वार्ता हेतु रवाना करने से पूर्व कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर अच्छी तरह से चालू कर सुपुर्द करे। तथा यह भी सुनिश्चित करे कि उसमें मैमोरी कार्ड अच्छी तरह से लगा हुआ हो, एवं परिवादी के पुलिस थाने में आने-जाने के दौरान देखने, एवं एसओ एवं परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करे, तथा एसओ की आम शोहरत के बारे में भी गोपनीय जानकारी करे। समय 4.30 पी.एम पर कानि0 श्री पवन राव एवं परिवादी श्री जगदीश दास उपस्थित कार्यालय आये। कानि.श्री पवन राव ने कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर बंद हालत में मुझ उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। तथा कानि0 ने बताया कि मै तथा परिवादी श्री जगदीश जी अपनी-अपनी मोटर साईकिल से मांग सत्यापन हेतु कार्यालय से रवाना होकर समय 12.20 पीएम पर कपासन फाटा पुलिस थाना कोतवाली चितौडगढ के पास पहॅूचे। परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल पर उसका भतीजा विक्रमदास भी साथ में था। एसओ की लोकेशन जानने के लिये परिवादी के मोबाइल नं0 से मोबाइल नं0 पर वार्ता करवाई तो एसओ ने परिवादी को पुलिस थाना कोतवाली पहॅूचने के लिये कहा। वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 12.38 पीएम पर परिवादी को पुनः कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। परिवादी ने डीवीआर को चालू हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बाई जेब में रख दिया। परिवादी को उसके भतीजे के साथ मोटर साईकिल से पुलिस थाना कोतवाली की ओर रवाना कर मै उसके पीछे-पीछे मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। परिवादी पुलिस थाने के पास रूका और मैन गेट से श्री विरेन्द्र पुलिस कर्मी को पुनः फोन लगाया उसके बाद परिवादी पुलिस थाने के अन्दर चला गया। परिवादी जगदीश जी ने अपने भतीजे को बाहर चाय की थडी पर भेज दिया। मै थाने के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुआ तथा परिवादी को पुलिस थाने के अन्दर जाते एवं आते हुए पर निगरानी रखी। इसके बाद करीबन 40 मिनट बाद परिवादी थाने बाहर आया। जिस पर मैने परिवादी से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर लेकर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि मेरी और श्री

विरेन्द्र जी पुलिस वाले की रिश्वत राशि मांग वार्ता रिकॉर्ड हुई है। इस पर परिवादी से पूछताछ की तो बताया कि मै मेरे साथ मेरा भतीजा विक्रमदास एवं पवन जी आपके पास से अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर करीबन 12.20 बजे के आस-पास कपासन फांटा चितौडगढ पहूंचे। तथा इसके बाद मैने श्री विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी की लोकेशन जानने के लिये मेरे मोबाइल नम्बर से उनके मोबाइल नम्बर पर फोन लगाया तथा पूछा तो विरेन्द्र जी ने मुझे कोतवाली थाने पहूँचने के लिये बताया। कानिस्टेबल पवन जी ने रिकॉर्डर चालू कर मेरी और विरेन्द्र जी से हुई बात को मोबाइल का स्पीकर खोलकर बातचीत को रिकॉर्ड किया था। इसके बाद मुझे पवन जी कानि0 ने समय 12.38 पर पुनः रिकॉर्डर चालू कर दिया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मैने चालू हालत में मेरी शर्ट की उपर की बाई जेब में रख लिया । इसके बाद मै तथा मेरे साथ मेरा भतीजा पुलिस थाना कोतवाली की ओर रवाना हुए। पवन जी कानि0 हमारे पीछे-पीछे ही मोटर साईकिल से आये। मैने थाने के गेट पर जाकर पुनः विरेन्द्र जी को फोन लगाया तो मुझे थाने के अन्दर बुला लिया। मैने मेरे भतीजे विक्रम को थाने के पास ही चाय की होटल पर बैठने के लिये कहा। कानि0 श्री पवन जी थाने के बाहर ही रूक गये थे। थाने में विरेन्द्र जी ने मुझे एक कमरे में बिठाया तथा मेरी मोटर साईकिल की आरसी, मेरा आधार कार्ड, एवं लाईसेंस चैक किये और मेरे फोटू लेकर मेरे से पूछताछ कर हस्ताक्षर करवाये। मेरे भतीजे विक्रमदास के भी आधार कार्ड, फोटू लेकर विरेन्द्र जी पूछताछ की। बातचीत के दौरान पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र जी कॉफी चालाकी, सावधानी से बातचीत कर रहे थे। पैसों की लेन-देन की बात ईशारों में कर रहे थे, मेरा मोबाइल भी बाहर रखवा दिया, तथा मेरे भतीजे को भी बाहर भेज दिया मेरी जेब में रखी मेरी शुगर की टेबलेट को भी चैक किया। मैने मेरी मोटरसाईकिल छुडाने के संबंध में श्री विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी से काफी रिक्वेस्ट की, कि आप मेरी मोटरसाईकिल यही से छोड दो, कोर्ट कचहरी के चक्कर मत लगवाओ। लेकिन मुझे कहा कि आपको मोटर साईकिल चितौडगढ कोर्ट से एवं भीलवाडा दोनों कोर्ट से छुडानी पडेगी। श्री विरेन्द्र जी ने बातचीत के दौरान ही मुझे मेरे से ईशारे में पैसो की कहा तो और बोला कि जो है, वो ही, तब मैने कहा कि जो आपने काले मना कर दिया न पूछयो तो की कियो कौनी (आपने कल मना कर दिया आपको पूछा तो कुछ कहा नही, तब कहा कि, यूं थोडे होता है, भैया तब मैने कहा कि आप मुझे थोडा ईशारा करते और अभी मै पैसे लेकर नही आया तो मुझे कहा कि सोमवार को आना बात करेगे ठीक है, सोमवार को बात करेगे, जाओ आज मेरी रात्रि डयूटी थी, आपका फोन आया इसलिये आया ठीक है, सोमवार को आना। इसके बाद मैने कहा कि थोडा घणा तो लायो इस्यान तो मै आपने बतायो पॉच सौ रूपया, मारे दो हजार लायो, पॉच सौ रूपया खर्च होग्या तेल भरा दिया गाडी में, और पन्द्रह सौ रूपये मेरी जेब में पडे है। इसके बाद विरेन्द्र जी ने मुझसे कहा कि अभी क्या लाये हो, तो मैने कहा कि पन्द्रह सौ रूपये। इसके बाद मैने विरेन्द्र जी को 1500/ रूपये दिये तो कहा कि कितने है, और पन्द्रह सौ रूपये मेरे से ले लिये। इसके बाद विरेन्द्र जी ने मुझे पास ही रखे केलकुलेटर में 5000/ रूपये लिख कर कहा कि ये तो अपनी बात हुई। तब मैने काफी रिक्वेस्ट करी कि पॉच हजार की मुझे कहा, समझ गया लेकिन मेरे पास व्यवस्था नही हुई। इसके बाद विरेन्द्र जी ने कहा कि चलो ठीक है, ये बाद में कर दिजो और अपने हाथ की दो अंगुली से ईशारा किया कि 2000 रूपये बाद में कर देना। तब मैने कहा कि दौ हजार नही पन्द्रह सौ और कर दूंगा। मुझे सोमवार को पुनः चितौडगढ बुलाया है, तथा शेष 1500/ रूपये की रिश्वत राशि मेरे से पुलिस कर्मी विरेन्द्र जी सोमवार तक लेगे। इसके बाद मुझे विरेन्द्र जी ने एक वकील साहब के मोबाइल नम्बर देकर पुरानी कोर्ट में भी भेजा तथा मुझे इधर घुमाया, तथा परेशान किया, मेरी मोटरसाईकिल नही छोडी। कभी तो चितौडगढ कोर्ट एवं कभी भीलवाडा कोर्ट से छुडाने की कहकर मुझे परेशान किया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ताओ को परिवादी एवं कानि0 के समक्ष चालू सुना तो परिवादी से 1500 रूपये मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ग्रहण करना तथा ईशारा कर 2000/ रूपये की ओर मांग की जिस पर परिवादी कहा कि 2000/- रूपये नही 1500/ परिवादी के रिक्वेस्ट करने पर शेष 1500/ रूपये रिश्वत राशि और लेने पर सहमत हुआ। परिवादी के बताये अनुसार शेष रिश्वत राशि संभवतः उसे उसकी मोटर साईकिल छुडाने के दौरान और ग्रहण करेगा। इस प्रकार आरोपी श्री विरेन्द्र पुलिस कार्मिक पुलिस थाना कोतवाली चितौडगढ द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग किया जाना पाया गया। परिवादी के बताये अनुसार शेष रिश्वत राशि 1500/ रूपये सोमवार को ग्रहण करेगा। परिवादी ने बताया कि पैसो की लेन-देन एवं रिश्वत संबंधी सभी बातचीत मेरे से ही की थी। अतः परिवादी को सोमवार तक 1500 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सोमवार तक कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। परिवादी एवं उसके भतीजे को रूखसत किया एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मेरे पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये। दिनांक 06.10.2025 समय 01.25 पी.एम पर श्री राजेश कुमार आचार्य उप निरीक्षक को दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 1712 दिनांक 06.10.2025 से कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा जिला भीलवाडा रवाना किया गया। जिस पर श्री राजेश कुमार उनि कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, भीलवाडा के पत्रांक अति. जिपस/भील/2025-26/927 दिनांक 06.10.2025 से स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वसीटा, पिता श्री मोहनलाल धोबी उम्र 31 साल निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे, गंगापुर पुलिस थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा मोबाईल नम्बर को लेकर उपस्थित कार्यालय आया, स्वतंत्र गवाह को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा श्री राजवीर कानि नं. 58 को एक स्वतन्त्र

गवाह लाने हेतु कार्यालय पत्रांक 1714 दिनांक 06.10.2025 से कार्यालय भू प्रबन्धक अधिकारी, भीलवाडा रवाना किया गया। जिस पर समय 03.40 पी.एम पर श्री राजवीर कानि नं. 58 स्वतंत्र गवाह श्री अनुराग जोशी पिता श्री हेमन्त जोशी उम्र 29 साल निवासी नाहर मेडिकल के पास, मूरडिया गली, छोटी सादडी जिला प्रतापगढ हाल पटवारी, कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा मोबाईल नम्बर को लेकर उपस्थित कार्यालय आया, स्वतन्त्र गवाह को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। परिवादी श्री जगदीश दास रंगास्वामी व श्री विक्रम दास कार्यालय में उपस्थित आये, जिसे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 04.15 पी.एम पर परिवादी श्री जगदीश दास रंगास्वामी व श्री विक्रम दास व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक वसीटा व श्री अनुराग जोशी का आपस में सम्पर्क करवाया गया तथा परिवादी श्री जगदीश दास रंगास्वामी द्वारा दिनांक 03.10.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने बाबत मौखिक सहमति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान नें अपनी सहमति दी। समय 04.30 पी.एम पर परिवादी श्री जगदीश दास रंगास्वामी व आरोपी श्री विरेन्द्र पुलिस कर्मी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला चितौडगढ के मध्य दिनांक 04.10.2025 को परिवादी के मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक की कार्यालय अलमारी से निकाला जाकर उक्त डीवीआर को गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ताओ को बारी-बारी से चलाकर सुन-सुन कर शब्द ब शब्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ताओ में परिवादी श्री जगदीश दास नें स्वयं की, व श्री विक्रमदास नें अपनी, एवं उक्त दोनो परिवादीगण नें आरोपी श्री विरेन्द्र पुलिस कार्मिक की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकॉर्ड वार्ताओ की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि. श्री राजवीर सिंह से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री राजवीर कानि0 नम्बर 58 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल 03 पेनड्राईव जिसमें से 01 पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बोडी का न्यायालय हेतु तथा आरोपी हेतु 01 पेनड्राईव 32 जी.बी. सेनडिस्क स्टील बोडी का एवं 01 पेनड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। माननीय न्यायालय के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया तथा आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड् मोहर कर मार्क M दिया गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL–1 33 अंकित की गई। मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट व पेनड्राईव तैयार की कार्यवाही समय 04.30 पी.एम पर प्रारम्भ कर समय 09.30 पी.एम पर समाप्त की गई। दिनांक 07.10.2025 समय 09.15 ए.एम पर परिवादी श्री जगदीश दास एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दीपक वसीटा व श्री अनुराग जोशी व कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा द्वितीय से श्री प्रेमराज कानि, श्री नारायणलाल कानि, श्री विनोद कानि चालक उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री जगदीश दास को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी नें अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के तीन नोट कुल 1500 रूपये पेश किये, उक्त नोटो के दोनो तरफ श्री नारायणलाल कानि से फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया जाकर परिवादी व गवाहान के समक्ष रासायनिक प्रक्रिया का द्रष्टांत दिया गया। परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन के पश्चात सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने हेतु बताया गया। फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं द्रष्टान्त फिनोफ्थेलिन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट मूर्तिब कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.15 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो गवाह श्री दीपक वसीटा व श्री अनुराग जोशी, व कानि. श्री राजवीर कानि को मय कार्यालय की रिकार्डिंग डिवाईस मय मैमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन से एवं श्री रामपाल सउनि, श्री प्रेमराज कानि, श्री खालिद हुसैन हैड कानि, श्री इन्द्रजीत कानि को सरकारी वाहन बोलेरो आर.जे14-यू.एल-5822 मय ट्रेप सामग्री, परिवादी श्री जगदीश दास को स्वयं की मोटर साईकिल से मय कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्ड मय नया मैमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु चितौडगढ रवाना हुआ। समय 04.15 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी का रवानाशुदा मय परिवादी मय जाप्ता मय गवाहान के उपस्थित कार्यालय आये। हालात इस प्रकार रहे कि कार्यालय से समय 11.15 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही के लिए रवाना होकर समय 12.35 पी.एम पर सैनिक स्कूल चितौडगढ के पास पहुंचे, जहां परिवादी श्री जगदीश दास ने मुझ उप अधीक्षक को बताया कि मुझे मेरी मोटर साईकिल को छुडाने के लिए न्यायालय में थाने की डायरी मंगवाने से संबंधित प्रार्थना पत्र मेरे वकील साहब से तैयार करवाकर श्री विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी कोतवाली को देना है। मेरी तहरीर देने के दौरान ही विरेन्द्र जी मेरे से रिश्वत राशि 1500/ रूपये ग्रहण करेंगे। इस पर परिवादी श्री जगदीश दास व कानि. श्री पवन को परिवादी की मोटर साईकिल से चितौडगढ सेशन कोर्ट की ओर रवाना कर मन उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्य परिवादी के पीछे पीछे

रवाना हुए तथा मन उप अधीक्षक मय जाप्ता समय 01.00 पी.एम पर चितौडगढ सेशन कोर्ट के बाहर पहुंचे तथा परिवादी को उसके बताये अनुसार परिवादी के वकील साहब से मिलने के लिए रवाना किया गया। समय 01.30 पी.एम पर परिवादी न्यायालय परिसर से बाहर आया तथा बताया कि वकील साहब आईन्दा तहरीर थाने में भिजवा देंगे। मैने हस्ताक्षर कर दिये है। तत्पश्चात मन पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य एवं परिवादी के साथ परिवादी की मोटर साईकिल पर कानि श्री पवन कुमार को रवाना कर कोतवाली थाने से थोडा पहले रूकने के निर्देश दिये। समय 02.00 पी.एम के लगभग मन उप अधीक्षक मय एसीबी टीम चितौडगढ थाने के पास पहुंचे तथा कानि श्री पवन कुमार को कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करने के निर्देश दिये। परिवादी द्वारा डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखकर श्री विरेन्द्र पुलिस कर्मी कोतवाली से रिश्वत राशि लेनदेन एवं वार्ता हेतु रवाना किया। मन पारसमल उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य थाने के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। करीब 10 मिनट पश्चात परिवादी बिना ईशारे किये ही थाने से बाहर निकल गया जिसको मन उप अधीक्षक मय एसीबी ट्रेप पार्टी के थाने के पास गली में ले जाकर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैनें थाने में जाकर श्री विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी को तलाश किया तो वहां पर नही मिले, जिस पर मैनें मेरे मोबाईल से फोन लगाकर विरेन्द्र जी से बात की तो उन्होने मुझे पुष्पेन्द्र सिंह जी से मिलने के लिए कहा इसलिये मैं बिना कोई ईशारा किये ही थाने से बाहर आ गया। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री पवन कुमार को निर्देश दिये कि आप परिवादी से डिजिटल वॉइस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास रखे। तत्पश्चात परिवादी को बताया कि आप पुनः फोन लगाकर श्री विरेन्द्र पुलिस कर्मी को बताये कि मुझे आप से ही मिलना है। तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल नम्बर से श्री विरेन्द्र पुलिस कर्मी के फोन पर वार्ता करवानी चाही तो पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र का मोबाईल स्वीच ऑफ मिला। परिवादी ने बताया कि शायद विरेन्द्र जी को शंका हो गई होगी इसलिये फोन बंद कर दिया। तत्पश्चात परिवादी को पुनः कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर पुलिस थाना कोतवाली रवाना किया तथा परिवादी को निर्देश दिये कि आप पुलिस कर्मी विरेन्द्र से ही रिश्वत राशि लेनदेन से संबंधित वार्ता करे। परिवादी के पीछे पीछे मन उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी पुनः थाने के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुए। तत्पश्चात परिवादी श्री जगदीश दास करीब 15 मिनट पश्चात पुलिस थाना कोतवाली से बिना कोई निर्धारित ईशारा किये बाहर आता हुआ दिखाई दिया जिसको मन उप अधीक्षक मय जाप्ते के थाने के पास वाली गली में ले जाकर कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर बंद कर मन उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी से पूछताछ की तो बताया कि विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी नें मुझे जिस पुलिस वाले से बात करने की कहा था, उनका नाम ईश्वर सिंह है। मैं नाम भूल गया था इसलिये आपको पुष्पेन्द्र सिंह नाम बता दिया था। मैं दोबारा थाने में गया तो ईश्वर सिंह जी मालखाना ईंचार्ज मुझे मिले तो उन्होने मुझे कहा कि तू कोर्ट में जा एप्लीकेशन लगवा देना, तेरे इस्तगासा नम्बर 01/25 है। श्री ईश्वर सिंह जी नें मेरे से किसी प्रकार की रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध में कोई वार्ता नही की। तत्पश्चात हालात वरिष्ठ अधिकारियो को निवेदन कर रवाना होकर वापस एसीबी कार्यालय उपस्थित आया। परिवादी के पास रखी हुई रिश्वत राशि 1500/ रूपये को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर कार्यालय के मालखाने में रखवाई गई तथा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी व गवाहान को ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 15.10.2025 समय 07.15 पी.एम पर परिवादी श्री जगदीश दास से मन पारसमल उप अधीक्षक नें जरिये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आज मेरी गाडी न्यायालय के आदेश से थाने से रिलीज हो गई है। मेरे थाने में गाडी रिलीज करने के दौरान विरेन्द्र जी नजर नही आये तथा काफी दिन से मेरे पास उनका शेष रिश्वत राशि लेने के संबंध में फोन नही आया है। परिवादी को हिदायत दी कि यदि एस.ओ द्वारा शेष रिश्वत राशि के संबंध में मोबाईल पर वार्ता करे या आपको बुलाये तो आप तुरंत मुझ उप अधीक्षक को सूचित करे। परिवादी ने बताया कि मैं थाने से गाडी छुडाने से संबंधित न्यायालय के आदेश की प्रति आईन्दा आपको कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करूंगा। दिनांक 01.01.2026 समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री जगदीश दास उपस्थित कार्यालय आया, परिवादी श्री जगदीश दास बताया कि मेरी मोटर साईकिल कोर्ट के आदेश से रिलीज हो चुकी है तथा पुलिस वाले विरेन्द्र जी का कोतवाली थाने से शेष रिश्वत लेने के लिए कोई फोन नही आया है तथा विरेन्द्र जी पुलिस कर्मी से मैने सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन अब वह मुझ से बातचीत नही कर रहे है। शायद उनको शंका हो गई है, अब वह मुझ से रिश्वत राशि नही लेंगे। अतः परिवादी के बताये अनुसार एसओ को एसीबी कार्यवाही की भनक लग गई है। अतः ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है। परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु दी गई रिश्वत राशि लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र मय न्यायालय आदेश दिनांक 15.10.2025 की फोटोप्रति मुझ उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर मालखाना में सुरक्षित रखी गई 1500/ रिश्वत राशि के नोटो को मंगवाया जाकर उक्त नोटो को बदलवाकर परिवादी श्री जगदीश दास को 1500/ रूपये सुपुर्द किये जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.30 ए.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री अनुराग जोशी व श्री दीपक वसीटा को तलब किया गया, जो उपस्थित कार्यालय आये। समय 11.45 ए.एम पर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप उपयोग में ली गई ब्रास-सील ACB BHL–1 33 का अवलोकन करवाया जाकर उक्त नमूना सील को बाद फारिक कार्यवाही के कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तोड़

कर नष्ट किया गया। फर्द नमूना व नाशानी सील पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी व दोनो गवाहान को रूखस्त किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि परिवादी श्री जगदीश दास की पुलिस थाना कोतवाली जिला चितौडगढ में धारा 102 सीआरपीसी में जप्त मोटर साईकिल को कोर्ट से छुडवाने एवं कार्यवाही करने के नाम पर पुलिस थाना कोतवाली जिला चितौडगढ में पदस्थापित पुलिसकर्मी श्री विरेन्द्र जोशी मोबाईल नम्बर

द्वारा 5000/ रूपये रिश्वत की मांग की गई, जिस पर दिनांक 04.10.2025 को परिवादी श्री जगदीश दास को पुलिस कर्मी श्री विरेन्द्र जोशी के पास भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो रूबरू हुई वार्ता में आरोपी श्री विरेन्द्र जोशी पुलिस कर्मी नें परिवादी से कहा कि अभी क्या लाये हो तब परिवादी ने कहा कि 1500 रूपये, तत्पश्चात आरोपी पुलिसकर्मी द्वारा परिवादी से 1500/ रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की तथा परिवादी को केलक्युलेटर पर 5000 रूपये लिखकर कहा कि यह तो अपनी बात हुई तब परिवादी ने कहा कि मुझे 5000/ रूपये की कहा लेकिन मेरे पास व्यवस्था नही हुई। तत्पश्चात आरोपी द्वारा कहा कि चलो ठीक है तथा अपने हाथ की दो अंगुलियो से ईशारा कर दो हजार रूपये बाद में कर देने के संबंध में बताया। तब परिवादी ने कहा कि दो हजार नही पन्द्रह सौ रूपये और कर दूंगा। तथा मौके पर ही आरोपी द्वारा परिवादी से पन्द्रह सौ रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना पाया गया तथा शेष रिश्वत राशि 1500/ रूपये के लेनदेन के संबंध में दिनांक 07.10.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। लेकिन आरोपी श्री विरेन्द्र जोशी पुलिस कर्मी को एसीबी कार्यवाही की शंका होने से शेष रिश्वत राशि 1500/ रूपये ग्रहण नही की गई। अतः ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। इस प्रकार श्री विरेन्द्र जोशी, पुलिस कर्मी, पुलिस थाना कोतवाली जिला चितौडगढ का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित करना पाया जाता है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु रिपोर्ट कार्यालय पत्रांक 128-29 दिनांक 30.01.2026 से श्रीमान पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अजमेर रेंज अजमेर को प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर के पत्रांक भ्र.नि.ब्यूरो/अशा/3/26/3421-22 दिनांक 02.04.2026 से श्री विरेन्द्र जोशी पुत्र श्री शेरूलाल, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम भदवासिया बेरा, गणेश नगर, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर हाल कानि नम्बर 805, पुलिस थाना कोतवाली जिला चितौडगढ के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। अतः आरोपी श्री विरेन्द्र जोशी पुत्र श्री शेरूलाल, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम भदवासिया बेरा, गणेश नगर, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर हाल कानि नम्बर 805, पुलिस थाना कोतवाली जिला चितौडगढ के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम........... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विरेन्द्र जोशी पुत्र श्री शेरूलाल उम्र 38 वर्ष, निवासी भदवासिया बेरा गणेश नगर, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर हाल कानि नं. 805, पुलिस थाना कोतवाली, जिला चित्तोडगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम 380 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 658-61 दिनांक 17.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तोडगढ 2- पुलिस अधीक्षक, चित्तोडगढ 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/04/2026 11:14:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)